शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
आओ पढ़ें, आओ बढ़ें

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र./ 5128 /एस.एस.ए./IED/2014-15 जशपुर,दिनांक:- 5.8.14

सर्व शिक्षा अभियान के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय में समावेशी शिक्षा समन्वयक के 01 रिक्त पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के सेवा शर्तो के अधीन संविदा (सीधी भर्ती) नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक- 20.08.2014 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जशपुर छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, के पते में भेज सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य होगा।

मूल विज्ञापन का प्रारूप

क्र.	पदनाम	जति वर्ग	पद संख्या	मानदेय
1	समावेशी शिक्षा समन्वयक	अनारक्षित (मुक्त)	01	20000/- एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह

शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता -

(1). स्नात्तक के साथ किसी भी वर्ग की विशेष शिक्षा में RCI से मान्यता प्राप्त डिग्री। सर्व शिक्षा अभियान में कार्यानुभव।

(2). स्नात्तक के साथ किसी भी वर्ग की विशेष शिक्षा RCI से मान्यता प्राप्त 02 वर्षीय डिप्लोमा। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यानुभव।

(3). स्नात्तक के साथ किसी भी वर्ग की विशेष शिक्षा RCI से मान्यता प्राप्त डिग्री। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित किसी भी संस्था में कार्यानुभव।

(4). स्नात्तक के साथ किसी भी वर्ग की विशेष शिक्षा में मान्यता प्राप्त 02 वर्षीय डिप्लोमा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित किसी भी संस्था में कार्यानुभव।

(5). उपरोक्तानुसार सभी पात्र उम्मीदवारों के पास RCI का पंजीयन प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी -

(1). उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई नियुक्ति दी जावेगी, अतः कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।

(2). अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त अम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।

(3). उच्च कार्यालयों द्वारा बजट स्वीकृत न होने की दशा में संविदा में नियुक्त कर्मचारी की सेवा लिया जाना संभव न हो सकेगा।

(4). आयु 01.07.2014 की स्थिति में संविदा भर्ती नियम अनुसार 18 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए।

(5). आवश्यक रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक/ दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

(6). कोई भी उम्मीदवार के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह हो गया हो, इस सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

(7). इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नही किये जायेंगे।

(8). प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी 10 रूपये का डाक टिकट लगा, स्वयं का पता लिखा लिफाफा (10 X 4) संलग्न करना होगा।

(9). अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन सकारण निरस्त किये जायेंगे। एवं इसकी सूचना उम्मीदवार को देना आवश्यक नही होगा।

(10). पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक, आवेदित पद का नाम, आवेदन का नाम लिखकर वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति सहित उम्मीदवार के आवेदन निर्धारित दिनांक व समय तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा **"कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जशपुर, जिला-जशपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड - 496331"** नाम से कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(11). अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

(12). अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

(13). आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज का स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।

(14). भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार **कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,** जिला-जशपुर को होगा, और वह आवेदक के लिए बंधनकारी होगा। प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(15). नियुक्ति संविदाकर्मी यथास्थिति कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला-जशपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(16). यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(17). नियुक्ति आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर आपको नियोक्ता प्राधिकृत विभाग, **जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला-जशपुर** में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(18). अन्यथा कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वमेव निरस्त मान ली जावेगी। एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा।

(19). कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी (यथा कदाचार अथवा किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अर्न्तग्रस्त होने पर) प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

(20). चयनित उम्मीदवार को पदस्थापित मुख्यालय में ही निवास करना अनिवार्य होगा।

(21). उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(22). चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण के समय योग्यता संबंधी मूल अभिलेखो का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(23). चयनित उम्मीदवार को उनके वेतन से किसी भी प्रकार की कोई अंशदान की कटौती नही की जायेगी।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

(24). चयनित उम्मीदवारों को भारतीय संविधान में शासकीय सेवा हेतु निहित नियमों/ निर्देशों के पालन हेतु शपथ लेना आवश्यक होगा।

(25). पद दायित्व से संबंधित अन्य शर्तें जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जशपुर में उपस्थित होकर देखा जा सकता है।

(26). अर्धशाकीय, स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वाराअनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

(27). पद संबंधित आवेदन पत्र प्रारूप जिला-जशपुर के www.jashpur.gov.in के वेबसाईट में देखा जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक कार्यक्रम समन्वयक (वित्त)
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
जिला-जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./529 /एस.एस.ए./IED/2014-15 जशपुर, दिनांक: 5.8.14

प्रतिलिपि:-

1. मिशन संचालक महोदय, राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), विकास खण्ड- .....को सादर सूचनार्थ।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
8. जिला रोजगार अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं विज्ञापन कार्यालयीन सूचना पटल पर संलग्न करने हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं विज्ञापन कार्यालयीन सूचना पटल पर संलग्न करने हेतु।
10. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/ विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, विकास खण्ड-... को सूचनार्थ एवं विज्ञापन कार्यालयीन सूचना पटल पर संलग्न करने हेतु।
11. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC) जशपुर, को सूचनार्थ कि वे विज्ञापन www.jashpur.gov.in एवं Cg State की वेबसाईट में Download करवाने का कष्ट करें।

सहायक कार्यक्रम समन्वयक (वित्त)
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
जिला-जशपुर (छ.ग.)

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़